



इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स, रोड, इन्दौर (म.प्र.)

विज्ञप्ति क्र.: 14

दिनांक : 13.01.2025

इन्दौर विकास प्राधिकारी की योजना क्र. 78-प्रथम फेज-2 में औद्योगिक उपयोग के 4 भूखण्डों को भू-स्वामी अधिकार पर न्यूनतम दर के बराबर या अधिक दर पर व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	ई-टेंडर पोर्टल क्रमांक	संपत्ति का विवरण	उपयोग	आरक्षित श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी.)	न्यूनतम दर (प्रति व.मी.)	अर्नेस्ट मनी (लाख में)
1	2024_DTCP_390704_1	380	औद्योगिक	अ.पि.वर्ग	600.00	57,500	34.50
2	2024_DTCP_390706_1	392	औद्योगिक	अ.पि.वर्ग	600.00	57,500	34.50
3	2024_DTCP_390715_1	376	औद्योगिक	अ.जा.	600.00	57,500	34.50
4	2024_DTCP_390771_1	385	औद्योगिक	पत्रकार	600.00	57,500	34.50

ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी महत्वपूर्ण दिनांक

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा प्रपत्र कय करने की आरंभ दिनांक एवं समय	16-01-2025	14:00 Hrs.
2	निविदा प्रपत्र कय करने एवं भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	05-02-2025	18:00 Hrs.
3	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र खोलने एवं जाँचने का दिनांक एवं समय	07-02-2025	11:30 Hrs. Onwards
4	पात्र निविदादाताओं के ऑनलाइन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	17-02-2025	12:30 Hrs.

नोट :-

- निविदा ई-प्रोक्योरमेंट पद्धति से पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> पर देखी एवं ऑनलाईन कय की जा सकती है। ई-टेंडर हेल्प डेस्क का टोल फ्री नंबर 01204001002 है।
- निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति) राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/आरटीजीएस के माध्यम से कर सकेगा।
- निविदादाता को अपने निविदा ऑफर (दर) ऑनलाईन देना होगी। सभी डाक्यूमेंट्स ऑनलाईन अपलोड करना होंगे। निविदादाता को पंजीयन राशि रसीद, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तें आदि की प्रति स्केनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- प्राधिकरण को निविदा स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिये मार्केटिंग सेल (मो. 98936-99113) पर संपर्क करें

एवं प्राधिकारी की वेबसाइट www.idaindore.org पर देखें।